रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23052025-263318
CG-DL-E-23052025-263318

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 283]	नई दिल्ली, बुधवार , मई 21, 2025/वैशाख 31, 1947
No. 283]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 21, 2025/VAISAKHA 31, 1947

संस्कृति मंत्रालय
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2025

सा.का.नि. 326 (अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संरक्षण संवर्ग (समूह 'क' और समूह 'ख' राजपत्रित पद), भर्ती नियम, 2019 को, जहां तक उनका संबंध उप अधीक्षण पुरातत्व इंजीनियर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में उप अधीक्षण पुरातत्व इंजीनियर के पद पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .--- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उप अधीक्षण पुरातत्व इंजीनियर (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .--- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अहर्ताएं आदि --- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति --- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति --- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन पद या अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप अधीक्षण पुरातत्व इंजीनियर	38*(2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–10(56100-177500 रू.)	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण** : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम,मेघालय, अरूणाचल,प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम तथा हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला तथा चंबा जिले का पांगी उप-खंड, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के

					अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**
(7)	(8)	(9)
आवश्यक: (i)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरी में स्नातक डिग्री; (ii)सरकारी क्षेत्र या किसी मान्यताप्राप्त पुरातत्वीय या धरोहर स्थल में सिविल इंजीनियरी कार्य की योजना, कार्यान्वियन और रखरखाव में तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पण1: अहर्ताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अहर्ताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएं: हां। स्तंभ(11) के अधीन उपदर्शित सीमा तक।	दो वर्ष। टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विहित दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**
(10)	(11)	(12)
(i) 80 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) । (ii) 20 प्रतिशत सीधे भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति**: ऐसे सहायक अधीक्षण पुरातत्व इंजीनियर जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रू.) के स्तर- 7 में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की हो तथा सिविल इंजीनियरी में कम से कम डिप्लोमा की अर्हता और पुरातात्विक संरक्षण में दो से चार सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो। **टिप्पणी 1**: वेतन मैट्रिक्स(44900-142400 रू) के स्तर-7 में नियमित आधार पर सहायक अधीक्षण पुरातत्व इंजीनियर के पदधारित व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को तीन वर्ष जारी रहेगी। **टिप्पणी 2**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा, पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब तक जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षिक अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्ाति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति**: (अल्पकालिक संविदा सहित) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (53100-167800 रू.) के स्तर-9 या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दी गई श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; या	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे** (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष; (2) सचिव या संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय – सदस्य; (3) महानिदेशक या अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य समूह 'क' विभागीय पुष्टि **समिति** (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. सचिव, संस्कृति मंत्रालय – अध्यक्ष; 2. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य; 3. संयुक्त महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य

	(iii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स(47600-151100 रू.) में स्तर-8 या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दी गई श्रेणी में चार वर्ष की सेवा की हो; या (iv) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स(44900-142400 रू.) में स्तर-7 या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दी गई श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; या (ख) जो स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए यथा विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: **टिप्पणी 1:** पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पणी 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी** 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा		
(13)		
सीधी भर्ती और प्रोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।		

[फा.सं. जे-11012/1/2023-योजना]

आनंद मधुकर, अपर महानिदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF CULTURE

(Archaeological Survey of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2025

G.S.R. 326(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Culture, Archaeological Survey of India, Conservation Cadre (Group 'A' and Group 'B' Gazetted Posts), Recruitment Rules, 2019, in so far as they relate to the post of Deputy Superintending Archaeological Engineer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Superintending Archaeological Engineer in the Archaeological Survey of India, Ministry of Culture, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Culture, Archaeological Survey of India, Deputy Superintending Archaeological Engineer (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publications in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.-** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached therto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation to this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Deputy Superintending Archaeological Engineer.	**38*** (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group ‘A’, Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500).

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Selection.	Not exceeding thirty-five years of age.(Relaxable for the Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribe for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	**Essential:** (i) Bachelors degree in Civil Engineering from a recongnised University or institute; (ii) Three years experience in planning,executionand maintenance of civil engineering works in Government sector or any recognised archaeological or heritage site. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that

		sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Age : No, Educational Qualifications: Yes to the extent indicated under column (11).	Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	(i) Eighty percent by promotion, failing which by deputation (including short- term contract); (ii) Twenty percent by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Superintending Archaeological Engineer in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with five years' regular service and possessing at least a qualification of diploma in Civil Engineering and having successfully completed two to four weeks training in archaeological conservation. Note 1: The eligibility service shall continue to be three years for the persons holding the post of Assistant Superintending Archaeological Engineer in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) on regular basis on the date of notification of these rules.	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman; 2. Secretary or Joint Secretary, Ministry of Culture - Member; 3. Director General or Additional Director General, Archaeological Survey of India - Member. **Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-**	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for direct recruitment and promotion.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed service. Deputation(including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or recognized University or research institution; (a)(i)holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii)with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-9 in the pay matrix (Rs.53100-167800) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with four years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) with five years service in the grade rendered after appointment	1. Secretary, Ministry of Culture - Chairman; 2. Director General, Archaeological Survey of India – Member; 3.Joint Director General, Archaeological Survey of India - Member.	

thereto on a regular basis in posts in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.		

[F.No. J-11012/1/2023-Planning]

ANAND MADHUKAR, Addl. Director General(Administration)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.05.23 11:42:11 +05'30'